भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 185
सोमवार 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

शास्ति को कम करना

185. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि, 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 या कर्मचारी भविष्य योजना, 1995 में कर्मचारियों के योगदान के भुगतान में किसी भी चूक के लिए शास्ति में कमी की गई है;
(ख) यदि हां, तो शास्ति की पूर्व और मौजूदा दर का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नियोक्ता संगठनों की ओर से कोई मांग है और ऐसी कटौती के पीछे क्या तर्क है;
(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त चूकों और उसके निष्कर्षों पर कोई अध्ययन किया है, यदि कोई हो;
(ङ) पिछले 3 वित्तीय वर्षों में एकत्र की गई शास्तियों का विवरण और इस कमी के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को होने वाली राजस्व हानि का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या यह कटौती मजदूरों के हितों के लिए हानिकारक नहीं है और क्या इस संबंध में मजदूर संघों से सलाह ली गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): जी, हाँ। सरकार ने दिनांक 14.06.2024 को तीन योजनाओं अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत योगदान के विलंबित भुगतान के लिए देरी के प्रत्येक महीने के लिए नुकसान की दर को घटाकर 1% कर दिया है।

(ख): वांछित जानकारी नीचे दी गई है:

नुकसान की अवधि	पिछली दरें (%) (वार्षिक)	पिछली दरें (%) (मासिक)
< 2 माह	5	.42 (5/12)
2- >4 माह	10	.83 (10/12)
4-6 माह	15	1.25 (15/12)
> 6 माह	25	2.08 (25/12)

जारी...2/-

दिनांक 14.06.2024 से प्रभावी हर्जाने की वर्तमान दर प्रत्येक बकाया महीने के लिए 1% प्रति माह है।

(ग) और (घ): ईपीएफ हेतु केंद्रीय बोर्ड कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकार (केंद्र और राज्य) के प्रतिनिधियों का एक त्रिपक्षीय निकाय है। समावेशन और संबंधित मुकदमेबाजी पर केंद्रीय बोर्ड की एक तदर्थ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नुकसान की दरों के यौक्तिकीकरण पर विचार किया था ।

तदर्थ समिति ने चिन्हित किया कि कर के देरी से भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम में दंड की मात्रा लगभग 1% प्रति माह है और ब्याज भी 1% प्रति माह है । ईपीएफ बकाया राशि के देरी से भुगतान पर ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि और कीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम) की धारा 7 क्यू के तहत शासित होता है जो प्रति वर्ष 12% है। तदर्थ समिति ने सिफारिश की थी कि योजनाओं में यथा निर्धारित नुकसान की दर को 1% प्रति माह की दर से संशोधित किया जाए।

(ङ) और (च): पिछले 3 वर्षों में एकत्र किया गया जुर्माना/हर्जाना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	वर्ष	वसूल की गई क्षति (रुपए. करोड़ में)
1.	2023-24	858.01
2.	2022-23	456.83
3.	2021-22	494.61

नुकसान का प्रतिशत कुल वार्षिक ईपीएफ संग्रह का मामूली प्रतिशत है।

केंद्रीय बोर्ड (ईपीएफ) और बोर्ड की तदर्थ समिति में कर्मचारी और नियोक्ता प्रतिनिधि थे। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा क्षति की दर को एक समान 1% प्रतिमाह करने के लिए तदर्थ समिति की सिफारिश का समर्थन किया गया था।

इससे कामगारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विलंब से जमा करने पर कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ब्याज की हानि का मूल्यांकन किया जाता है और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 थ के अंतर्गत वसूली की जाती है, जो 12% प्रतिवर्ष बनी हुई है।

*****